

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 3135
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

उभरते चिकित्सा पर्यटन हेतु नीति

3135. डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उभरते चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र के लिए कोई नीति लागू की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा पर्यटन की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या योजना बनाई गई है;
- (घ) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में निगरानी के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने चिकित्सा और निरोगता पर्यटन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति एवं रोडमैप तैयार किया है। इस कार्यनीति में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों को अभिज्ञात किया गया है।

- (i) निरोगता गंतव्य के रूप में भारत के लिए एक ब्रांड विकसित करना
- (ii) चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन के लिए ईको सिस्टम को मज़बूत बनाना
- (iii) ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) पोर्टल की स्थापना द्वारा डिजीटलीकरण को संभव बनाना
- (iv) मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए पहुँच में वृद्धि करना
- (v) निरोगता पर्यटन को बढ़ावा देना
- (vi) शासन एवं संस्थागत कार्यढाँचा

भारत सरकार ने दिनांक 30.11.2016 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसरण में ई-पर्यटक वीजा योजना का उदारीकरण किया और ई-पर्यटक वीजा (ई टी वी) योजना का नाम बदलकर ई-वीजा योजना कर दिया गया और वर्तमान में इसमें ई-वीजा की उप-श्रेणियों के रूप में ई-चिकित्सा वीजा और ई-चिकित्सा सहयोगी वीजा शामिल हैं।

ई-चिकित्सा वीजा और ई-चिकित्सा सहयोगी वीजा के मामले में तीन बार प्रवेश की अनुमति है और प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के मद्देनजर मामला दर मामला आधार पर संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा 6 माह तक का समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है। चिकित्सा सहयोगी वीजा मूल ई-वीजा धारक के वीजा की वैधता अवधि के साथ ही समाप्त होगा।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से मिली सूचना के अनुसार वह देश में मैडिकल वैल्यू ट्रैवल के संवर्धन के लिए अन्य मंत्रालयों तथा हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है। इस क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों को चिह्नित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, अस्पतालों, एमवीटी सुविधाप्रदाताओं, बीमा कंपनियों और एनएबीएच आदि के साथ हितधारक परामर्शों के अनेक दौर आयोजित किए गए हैं।

(घ) से (च): वर्ष 2017-2021 के दौरान चिकित्सा के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	चिकित्सा प्रयोजन (लाख में)
2017	4.95
2018	6.44
2019	6.97
2020	1.83
2021	3.04

स्रोत:आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई)
